प्राक्कथन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत 31 मार्च 2017 के समाप्ति वर्ष का यह प्रतिवेदन राज्यपाल, झारखण्ड को सुपुर्द करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में (i) झारखण्ड में गव्य विकास योजनाओं के कार्यान्वयन (ii) गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, (पी.सी.पी.एन.डी.टी.) 1994 का कार्यान्वयन तथा (iii) झारखण्ड में वन भूमि के प्रबंधन पर लेखापरीक्षा परिणाम शामिल है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवेदन में 27 विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा के आधार पर आठ लेखापरीक्षा कंडिकाएँ शामिल है।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य 2012-17 के दौरान योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यकलापों का मूल्यांकन जैसे, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं निगरानी, आंतरिक निरीक्षण आदि, करना था तथा संबंधित प्रशासनिक विभागों के कर्मचारियों के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने हेतु राज्य विधान सभा को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिदेश के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के परिणाम का रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। संबंधित विभागों द्वारा योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कमियाँ पायी गई जिसे नीचे वर्णित किया गया है:

झारखण्ड में गव्य विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा में दुधारू मवेशी वितरण योजना (दु.म.वि.यो.) तथा तकनीकी इनपुट कार्यक्रम (त.इ.का.) की समीक्षा की गई जिसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना तथा छोटे/सीमांत किसानों को लाभदायक सतत् रोजगार प्रदान करना था।

वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत दु.म.वि.यो. का क्रियान्वयन मात्र दो जिलों (धनबाद तथा खूँटी) में ही किया गया था क्योंकि इसके लिए विभाग ने कोई निधि निर्गत नहीं की थी। वर्ष 2016-17 में योजना का संचालन नहीं किया गया क्योंकि नई वित्तपोषण पद्धति के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए अनुदान की राशि को घटाकर 25 प्रतिशत (पूर्व में 40-50[1] प्रतिशत) तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए अनुदान की राशि घटाकर 33.33 प्रतिशत (पूर्व में 40-50[1] प्रतिशत) की गई। विभाग को योजना के अंतर्गत बकाया राशि (लाभार्थियों) के बारे में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि जिला गव्य विकास पदाधिकारी (जि.ग.वि.प.) ने उक्त विवरणों को प्राप्त करने के लिए बैंकों के साथ समन्वय नहीं किया तथा लाभार्थियों से भी सम्पर्क नहीं किया जैसा कि योजना दिशानिर्देशों में दिया गया है। विभाग ने राज्य में दुग्ध उत्पादन के लक्ष्य को दु.म.वि.यो. के अन्तर्गत बी.पी.एल. (महिला) योजना से नहीं जोड़ा।

---

[1] 50 प्रतिशत मिनी डेयरी के लिए तथा 40 प्रतिशत मिडी डेयरी के लिए।

अनेक माँग पत्रों/ स्मारों तथा निकास सम्मेलन में विभागीय सचिव द्वारा दिए गए (जनवरी 2018) आश्वासनों के बावजूद विभाग 2012-16 की अवधि के लिए त.इ.का. के तहत खरीद तथा वितरण का विवरण लेखापरीक्षा को प्रदान करने में विफल रहा। इस मामले की निगरानी दृष्टिकोण से जाँच की आवश्यकता है क्योंकि वस्तुत: विभाग द्वारा गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन का दमन करते हुए एक अयोग्य कंपनी को अवमानक खनिज मिश्रण आपूर्ति हेतु आपूर्ति का आदेश प्रदान किया गया था तथा इसके एवज में ₹ 4.25 करोड़ का भुगतान किया गया।

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) (पी.सी.पी.एन.डी.टी.) अधिनियम, 1994 तथा नियम 1996 का लेखापरीक्षा

इस अधिनियम तथा नियम के अनुसार भ्रूण के लिंग निर्धारण तथा उसका प्रकटीकरण निषेध है। मार्च 2017 तक, राज्य के 24 जिलों में से 19 जिलों के 250 (36 प्रतिशत) जेनेटिक अल्ट्रासोनोग्राफी केन्द्रों पर केवल 227 अयोग्य चिकित्सक थे तथा कोई योग्य चिकित्सक नहीं थे। इनमें से नमूना-जाँचित जिलों के जेनेटिक/अल्ट्रासोनोग्राफी 136 केन्द्रों में कार्यरत 126 अयोग्य चिकित्सकों ने अधिनियम की धारा 3(2) का उल्लंघन करते हुए 2014-17 के दौरान 59,959 सोनोग्राफी की जो यह बतलाती है कि कोई भी जेनेटिक/यू.एस.जी. केन्द्र किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा नहीं लेंगे या न तो नियुक्त करेंगे जिन्होंने सोनोलोजिस्ट अथवा इमेजिंग विशेषज्ञ अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पंजीकृत चिकित्सक अथवा डिप्लोमा अथवा छह महीने का प्रशिक्षण (संशोधन नियम 2014 के अनुसार) नहीं लिया हो। इसके अतिरिक्त, 2014-17 के दौरान 18 रेडियोलॉजिस्ट 24 जिलों के विरुद्ध 5 जिलों के 71 यू.एस.जी. केन्द्रों के साथ पंजीकृत हुए थे जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि औसतन एक रेडियोलॉजिस्ट दो यू.एस.जी. के अनुमत सीमा के मुकाबले तीन से छह यू.एस.जी. केन्द्रों में काम कर रहे थे।

राज्य सरकार ने अधिनियम के दो दशकों से भी अधिक समय लागू होने के बाद भी किसी भी अनुमण्डल में उप जिला समुचित प्राधिकार का गठन नहीं किया था। इसके अलावा, राज्य स्तर पर कार्यान्वयन की समीक्षा, निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड एवं राज्य सलाहकार समिति के पुनर्गठन में भी दो वर्ष की देरी हुई। इन विलंब/निष्क्रियताओं के कारण राज्य एवं केन्द्र आधारित समितियों की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन में व्यवधान हुआ जैसे कि किसी एक जिला में योग्य डॉक्टरों को अधिकतम दो सोनोग्राफी क्लिनिक में काम करने के लिए प्रतिबंधित कराना, शिकायत प्राप्ति हेतु ऑनलाइन, परिवाद/शिकायत पोर्टल स्थापित करना, राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा सोनोग्राफी क्लिनिक का निरीक्षण, ऑनलाइन फॉर्म एफ[2] का पता लगाना, यू.एस.जी. केन्द्रों के जी.आई.एस. खाका तैयार करना इत्यादि।

---

[2] जेनेटिक क्लिनिक/सोनोग्राफी क्लिनिक/इमेजिंग सेंटर द्वारा प्रसव पूर्व निदान परीक्षण/प्रक्रिया के मामले में अभिलेख के रखरखाव के लिए फॉर्म

राज्य निरीक्षण तथा अनुश्रवण समिति ने 2014-17 के दौरान कोई क्षेत्रीय दौरा अथवा किसी भी यू.एस.जी. केन्द्र का निरीक्षण नहीं किया। जिला समुचित प्राधिकारों ने 2014-17 के दौरान नमूना जाँचित जिलों में से मात्र तीन प्रतिशत (8,608 लक्षित निरीक्षणों में से 244) तथा दो प्रतिशत (5,060 अपेक्षित जाँच में 96) जाँचों का संचालन किया।

झारखण्ड में वनभूमि प्रबंधन का लेखापरीक्षा

यद्यपि भारतीय वन्य अधिनियम, 1927 के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचनाओं के आधार पर मुख्यत: 1952 तथा 1967 के बीच 19.185 लाख हेक्टेयर वनभूमि को संरक्षित वन घोषित कर दिया गया, विभाग विगत 65 वर्षों में एक भी अंतिम अधिसूचना जारी करने में विफल रहा। इसी प्रकार, विभाग अंतत: पलामू वन्यजीव (बेतला राष्ट्रीय उद्यान) अभ्यारण्य तथा महुआडांड़ भेड़िया अभ्यारण्य को अधिसूचित करने में विफल रहा हालाँकि क्रमश: जून तथा जुलाई 1976 में प्रारंभिक अधिसूचनाएँ जारी कर दी गई थी। परिणामस्वरुप, राजस्व भूखंडों के भीतर सटीक वन सीमाओं के संबंध में वन विभाग एवं भूमि राजस्व विभाग के बीच समन्वय की कमी थी जिसके कारण वन्य क्षेत्र पर अतिक्रमण, वन भूमि की खरीद एवं बिक्री तथा वनभूमि का अनधिकृत इस्तेमाल होने लगा। इसके अतिरिक्त, अभ्यारण्य क्षेत्र में प्रभावित अधिकार धारकों की वैकल्पिक आजीविका की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई। विभाग 25,181 हेक्टेयर वनभूमि का अतिक्रमण रोकने तथा अधिसूचित करने में विफल रहा (जैसे कि सुरक्षित/संरक्षित वन), 12 नमूना जाँचित वन प्रमंडलों में से सात प्रमंडलों में क्षतिपूर्ति वनरोपण हेतु 760.41 हेक्टेयर गैर-वनभूमि स्थानांतरित की गई।

लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

इस प्रतिवेदन में शामिल आठ लेखापरीक्षा कंडिकाएँ विभिन्न विभागों से संबंधित हैं जो नियमों तथा विनियमों के गैर-अनुपालन, औचित्य के विरुद्ध लेखापरीक्षा, अपर्याप्त तर्क संगत व्यय के मामले तथा दृष्टिचूक/शासन की विफलता से संबंधित है। महत्वपूर्ण अवलोकनों में पुलिस गार्ड को निजी व्यक्तियों के लिए अनधिकृत प्रतिनियुक्ति शामिल है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं, जो 2016-17 की अवधि के लिए हुए नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में जानकारी में आये तथा वे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों में उजागर हुए, किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके, 2016-17 के बाद की अवधि से संबंधित मामले आवश्यकतानुरुप शामिल किये गये हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों 2002 तथा लेखापरीक्षा तथा लेखा विनियम, 2007 के अनुसार लेखापरीक्षा संचालित की गई है।